अपील प्र0 सं0 27 / 2021 अनवानी चन्दूराम आदि बनाम तुलसीदेवी व अन्य

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	30.08.2024	

पत्रावली पेश। पत्राववली अप्रार्थीगण (प्रार्थना पत्र प्रार्थी) तुलसी देवी आदि द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी पर बहस सुनी जा चुकी है। उक्त प्रार्थना पत्र के आदेश हेतु पेश हुई।

अभिभाषक **अप्रार्थीयान (प्रार्थना पत्र प्रार्थी)** ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी की बहस में कथन किये कि प्रार्थी / अप्रार्थीया संख्या 1 ने प्रशासन आप के द्वार अभियान 2004 कैम्प स्थल ग्राम पंचायत बड़ोपल तत्कालीन पंचायत समिति हनुमानगढ में दिनांक 21.12.2004 को लगे ग्राम कैम्प प्रशासन आपके द्वारा अभियान में सरपंच ग्राम पंचायत बड़ोपल तत्कालीन पंचायत समिति हनुमानगढ के द्वारा मिन प्रार्थीगण/अप्रार्थी सं. 01 के नाम उक्त विवादित प्लॉट का पट्टा जारी किया गया था। उक्त विवादित प्लॉट में मिन प्रार्थीगण/ अप्रार्थीगण संख्या 1 द्वारा पिछले 35 वर्षो से लगातार शान्तिपूर्वक उपयोग व उपभोग करते आ रहे है। मिन प्रार्थीगण/ अप्रार्थीगण सं. 01 के नाम विवादित प्लॉट का पट्टा सरपंच ग्राम पंचायत बड़ोपल तत्कालीन पंचायत समिति हनुमानगढ से जारी होकर उप पंजीयक पीलीबंगा से दिनांक 30.03.2005 को पुस्तक सं0 01 जिल्द सं0 140 मे पृष्ठ सं0 43 क्रम सं० 2005000805 पर पंजीबद्ध किया गया है तथा अतिरिक्त पुस्तक सं० 01 जिल्द सं0 445 के पृष्ठ सं0 581 से 586 पर चस्पा है, जिसकी प्रमाणित प्रति कार्यालय उप महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक हनुमानगढ से प्राप्त की हुई है, जिसकी फोटोप्रति संलग्न प्रार्थना पत्र है। मिन प्रार्थीगण/ अप्रार्थीगण संख्या 1 के नाम विवादीत पट्टा / आबादी भूमि का विक्रय अभिलेख उप पंजीयक पीलीबंगा से पंजीबद्ध होने के कारण उक्त दस्तावेज को निरस्त करने का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार इस न्यायालय को न होकर माननीय सिविल न्यायालय को है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त अनवान की निगरानी खारिज की जावें

अभिभाषक **निगरानीकर्ता** द्वारा अपनी बहस में कथन किये कि अप्रार्थीया तुलसी देवी के पक्ष मे जारी किए गए विधि विरूद्ध पट्टा दिनांक 21–12–2004 को निरस्त करने हेतु प्रार्थीगण चंदूराम आदि ने निगरानी प्रस्तुत कर रखी है, जिसका कोई रिकार्ड ग्राम पंचायत के पास उपलब्ध नही है, ना ही आज तक पेश किया गया है। तुलसीदेवी का यह कथन कि पिछले 35 वर्ष से प्लाट का लगातार उपयोग उपभोग कर रहे है, गलत अंकित किया है, जबकि वास्तविकता यह है कि प्रश्नगत भूखण्ड काशीराम द्वारा प्रार्थी संख्या 1 चंदूराम को जरिए घरू लिखित दिनांक 3–7–1996 से विक्रय करने के बाद कब्जा निर्विवाद रूप से [illegible] 1 चंदूराम के पास लगातार चला आ आ रहा है। उ[illegible] का समर्थन उसके पुत्र अशोक कुमार द्वारा [illegible] 20–7–2021 कर रखा है जो पूर्व मे [illegible] है। उक्त भूखण्ड विक्रय की लिखित मोहन लाल पुत्र इमीचंद [illegible] की गई थी उनके शपथपत्र की प्रति सलंग्न प्रस्तुत है जहां तक अप्रार्थीया तुलसीदेवी द्वारा पट्टा को उप पंजीयक से पंजीकृत कराने का प्रश्न है, यह उनकी पश्चातवर्ती कार्यवाही है, पट्टे के पंजीकृत हो जाने से इस न्यायालय की कार्यवाही पर कोई प्रभाव नही पडेगा। माननीय न्यायालय द्वारा जारी हुए पट्टा के विधिक प्रक्रिया को परखा जाना है, इसलिए पट्टा के पंजीकृत करा लेने से उसे कानूनी मान्यता नही मिलेगी। यह कथन करना कि पट्टा उप पंजीयक से पंजीकृत है

Signature Not Verified
Digitally signed by Umedi Lal Meena
Date: 2024.09.03 10:35:06 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज.)

इसलिए क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को है, यह कथन अप्रार्थीया तुलसीदेवी का गलत है क्योकि इस न्यायालय द्वारा जारी हुए पट्टा की विधिक प्रक्रिया की पालना को परखा जाना है, सिविल कार्यवाही का इस पर कोई प्रभाव नही है। विधिक एवम् अतिरिक्त आपत्ति यह कि आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधान पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र पर लागू नही होते है। ऐसी स्थिति मे प्रार्थना पत्र पोषणीय नही होने के कारण खारिज योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थीया तुलसी देवी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जाकर निगरानी मे अग्रिम कार्यवाही की जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

1. प्रश्नगत पटटा उप पंजीयक पीलीबंगा से दिनांक 30.03.2005 को पुस्तक सं0 01 जिल्द सं0 140 मे पृष्ठ सं0 43 क्रम सं० 2005000805 पर पंजीबद्ध किया गया है तथा अतिरिक्त पुस्तक सं० 01 जिल्द सं0 445 के पृष्ठ सं0 581 से 586 पर चस्पा है, जिसकी प्रमाणित प्रति कार्यालय उप महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक हनुमानगढ से प्राप्त की हुई है, जिसकी फोटोप्रति पत्रावली में संलग्न प्रार्थना पत्र है। उक्त रजिस्टर्ड पटटा/दस्तावेज को निरस्त करने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को न होकर माननीय सिविल न्यायालय को है।
2. अभिभाषक निगरानीकर्ता के पास उक्त भूखण्ड से संबंधित कोई मालिकाना हक, मूल दस्तावेज उपलब्ध नहीं है।
3. उभय पक्षकारान द्वारा उक्त प्रकरण माननीय सिविल न्यायालय में विचाराधीन होना स्वीकार किया है।

उक्त विवेचन के आधार पर मेरी विनम्र राय में क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं होने के कारण प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर अभिभाषक निगरानीकर्ता की निगरानी प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज की जाती है। अभिभाषक निगरानीकर्ता सक्षम न्यायालय में चाराजोही के लिए स्वतंत्र है। इस न्यायालय से कोई कार्यवाही शेष है।

निर्णय आज आज दिनांक 30.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेदी लाल मीना)
अपर जिला कलक्टर
अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Umedi Lal Meena
Date: 2024.09.03 10:35:06 IST
Reason: SelfAttested